भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : **266**
दिनांक 12 मार्च , 2020 / 22 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई संपर्क तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

* 266. **श्री शंकर लालवानी:**
श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिये विश्व के साथ हवाई संपर्क को बेहतर बनाने हेतु कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) नागर विमानन क्षेत्र में एयर इंडिया का निजीकरण, जेट एयरवेज़ से संबंधित संकट के त्वरित समाधान, एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जीएसटी व्यवस्था में सम्मिलित करना, द्विपक्षीय व्यवस्था का उदारीकरण तथा अनुरक्षण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार क्षेत्र के लिये कर व्यवस्था में छूट देने जैसे प्रमुख मुद्दों का समाधान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

''हवाई सम्पर्क तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार'' के संबंध में दिनांक 12.03.2020 के लोक सभा के मौखिक (*) प्रश्न सं. 266 के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): भारत द्वारा सभी गैर अनुसूचित कार्गो उड़ानों के लिए मुक्त आकाश नीति अंगीकार की गई है जिसके अंतर्गत विदेशी एयरलाइनें, भारत में किसी भी गंतव्य से / के लिए, किसी भी संख्या में गैर-अनुसूचित सभी कार्गो उड़ानों का प्रचालन कर सकती हैं।

सरकार द्वारा विविध द्विपक्षीय विमान सेवा करारों में कार्गो उड़ानों के लिए मुक्त आकाश का अनुच्छेद (क्लाज), शामिल किए जाने के प्रयास भी किए गए हैं तथा अनेक करारों में इस प्रकार का अनुच्छेद (क्लाज) पहले ही शामिल किया जा चुका है।

(ख): नागर विमानन सेक्टर की प्रमुख समस्याओं को सुलझाने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/ किए जाने प्रस्तावित हैं:-

i. एअर इंडिया का निजीकरण :

एअर इंडिया विशिष्ट वैकिल्पक तंत्र व्यवस्था (AISAM) द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुक्रम में सरकार द्वारा, एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (AIXL) में एअर इंडिया लिमिटेड की 100% अंशधारिता तथा एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (AISATS) में 50 % अंशधारिता के साथ एअर इंडिया लिमिटेड (AIL) की 100% इक्विटी शेयर पूंजी की बिक्री के लिए अभिरूचि अभिव्यक्ति आमंत्रित करते हुए दिनांक 27.1.2020 को प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (PIM) जारी किया गया है। शुद्धिपत्र जारी करके प्रारंभिक सूचना ज्ञापन तथा शेयर क्रय करार (SPA) के संबंध में, लिखित प्रश्न प्रस्तुत किए जाने की समयावधि 6.3.2020 निश्चित की गई है। प्रारंभिक सूचना ज्ञापन संबंधी प्रश्नों तथा शेयर क्रय करार, (यदि भारत सरकार द्वारा अपने विवेकानुसार इसका प्रावधान किया गया है) पर प्रतिक्रिया दिए जाने की अंतिम तिथि 16.3.2020 है। इस प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया गया है। इसके चरण I में इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा रूचि अभिव्यक्ति प्रस्तुत की जानी है तथा उन्हें अर्हता मापदंडों एवं प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (PIM) की अन्य शर्तों के आधार पर शार्ट लिस्ट किया जाना है। चरण II में शार्टलिस्ट किए गए इच्छुक बोलीदाताओं को प्रस्ताव (RFP) संबंधी अनुरोध भिजवाया जाएगा तथा उसके पश्चात पारदर्शी बोली प्रक्रिया की जाएगी। प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (PIM) पर प्रतिक्रिया के रूप में किसी समूह अथवा इकाई से प्राप्त रूचि अभिव्यक्ति, केवल संव्यवहार परामर्शदाता के सम्मुख ही प्रस्तुत की जाएगी।

ii. जेट एयरवेज की समस्या का समाधान:

मैसर्स जेट एयरवेज लिमिटेड के लिए निधियां जुटाने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि यह एयरलाइन का अपना आंतरिक मामला है। राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT), मुम्बई ने दिनांक 20 जून, 2019 को, दिवालियापन एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC) के अंतर्गत, उक्त संहिता के तहत समाधान योजना तैयार किए जाने के क्रम में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर किए गए एक अभ्यावेदन को स्वीकार किया है। एयरलाइन का पुनरूद्धार, अब केवल दिवालियापन एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) के अंतर्गत ही किया जाना ही संभव है।

iii. विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) को, माल एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में शामिल किया जाना :-

संविधान के अनुच्छेद 279 ए (5) के अनुसार माल एवं सेवा कर परिषद द्वारा उस तारीख की सिफारिश की जाएगी,

जिसको पैट्रोलियम कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यत: पेट्रोल के नाम से ज्ञात), प्राकृतिक गैस तथा विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) को माल एवं सेवा कर के दायरे में शामिल किया जाना है। केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम के खंड 9(2) के अनुसार माल एवं सेवा कर के दायरे में इन उत्पादों का समावेशन करने के लिए माल एवं सेवा कर परिषद की अनुशंसा अपेक्षित है। अब तक, माल एवं सेवा कर परिषद द्वारा, प्राकृतिक गैस एवं विमानन टर्बाइन ईंधन को माल एवं सेवा कर में शामिल किए जाने की कोई सिफारिश नहीं की गई है।

iv. द्विपक्षीय व्यवस्था का उदारीकरण :

विमान सेवा करार, देशों के मध्य विमान सेवाओं के प्रचालन की विधिक रूपरेखा का प्रावधान करते हैं तथा ये राष्ट्र की सार्वभौमिकता, वाहकों की राष्ट्रीयता एवं प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनों के लिए वाणिज्यिक अवसरों के संदर्भ में पारस्परिकता के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। अंतर्मंत्रालयी समूह द्वारा निर्धारित शासनादेश के दायरे में सजग विचार-विमर्श के पश्चात, देशों के मध्य विभिन्न कारकों के आधार पर द्विपक्षीय यातायात अधिकारों का आदान प्रदान किया जाता है।

द्विपक्षीय व्यवस्था के उदारीकरण की दिशा में किए गए कुछ उपायों में शामिल हैं, सार्क देशों के साथ (पाकिस्तान के अलावा) तथा नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में स्थित देशों के साथ पारस्परिक आधार पर मुक्त आकाश व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था देश के छ: प्रमुख महानगरों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा मुक्त आकाश नीति, सार्क (पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के अलावा) तथा एशियान देशों के नामित वाहको के लिए है, जो भारत के 18 पर्यटक गंतव्यों नामत: अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, भुवनेश्वर, कालीकट, कोच्चि, गया, गोवा, गुवाहाटी, जयपुर, खजुराहो, लखनऊ, पटना, पोर्टब्लयेर, तिरूवरंतपुरम, तिरूचिरपल्ली, वाराणसी एवं विशाखापत्तनम के लिए/से असीमित प्रचालन कर सकते हैं।

v. अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल (MRO) सेक्टर को कर व्यवस्था में रियायत प्रदान करना :

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (NCAP) 2016 के अंतर्गत समय समय पर किए गए प्रमुख उपायों तथा हाल ही में देश में अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए अन्य अनेक उपायों के साथ साथ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

1. कलपुर्जों एवं औजार किटों पर सीमाशुल्क में छूट देना।
2. विभिन्न कलपुर्जों, उपस्करों एवं उपभोज्यों पर माल एवं सेवा कर की कम की गई दरें।
3. कलपुर्जों की क्लीयरेंस की प्रक्रिया सरल बनाना।
4. शुल्क मुक्त कलपुर्जो के उपयोग के लिए प्रतिबंधित अवधि एक वर्ष बढ़ाकर तीन वर्ष की गई है।
5. भारत में विदेशी विमान के अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल के लिए आवश्यक अवधि को बढ़ाकर, इसकी पूर्ण एम.आर.ओ. अवधि अथवा 6 माह, इनमें से जो भी कम हो, कर दिया गया है।
6. मरम्मतयोग्य कलपुर्जो के निर्यात को सुगम बनाने के लिए अधिसूचना में संशोधन किए गए हैं।
7. अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल (MRO) के लिए, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की गई है।
8. अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल के लिए प्रतिस्पर्धी शर्तों पर विदेशी मुद्रा एवं रूपए में उधार लेने एवं उधार देने

" की नीति को उदार बनाया गया है।

9. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के हवाईअड्डों पर अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल को बढ़ावा देने के प्रोत्साहन के लिए भा.वि.प्रा. द्वारा भूमि आबंटन के संबंध में नीतिगत प्रावधान किए गए हैं।

नागर विमानन महानिदेशालय, द्वारा भारत में पंजीकृत विमान के अनुरक्षण के संबंध में नागर विमानन अपेक्षाएं - 145 के अंतर्गत अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल संगठनों को अनुमोदन प्रदान करने के लिए, अपेक्षाएं एवं दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। ये विनियम, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) मानकों पर आधारित हैं तथा इन्हें यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) के विनियमों से संगत बनाया गया है। भारतीय अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल (MRO) उद्योग को, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) से अनुमोदन / प्रमाणन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, इन विनियमों में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO)मानकों तथा यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) विनियमों में होने वाले संशोधनों के आधार पर समय समय पर संशोधन किए जाते हैं।

नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा, विमान अनुरक्षण इंजीनियर (AME) लाइसेंसों की प्राप्ति के क्रम में जनशक्ति कौशल प्रदान करने वाले प्रशिक्षण संगठनों को, नागर विमानन अपेक्षाएं – 147 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में, भारत में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 46 अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन तथा 12 टाइप प्रशिक्षण संगठन हैं।

*****